न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 163 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. गोपालदास पुत्र सोनदास 2. राजेशकुमार पुत्र सोनदास 3. बदामीदेवी पत्नी सोनदास जातियान संत 4. हीरोदेवी पत्नी कुनाराम जाति प्रजापत निवासीयान पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. अणदी पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी पचपदरा 2. अशोक पुत्र शंकरलाल जाति भील निवासी कुड़ी भगतासनी 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 194 / 2022 बउनवान अणदी वगैरह बनाम गोपालदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मुनीर अली पठान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठूलाल कुमावत उतरदाता संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 682 रकबा 07.03 बीघा में अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत मंडापुरा के खसरा संख्या 678 व विप्रार्थी संख्या 04 के खेत खसरा संख्या 679 की भूमि में से गुजरना पड़ता है। इसलिए इसमें से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। उत्तरदातागण ने हस्तगत आवेदन के जरिये 30 फिट चौड़े रास्ते की मांग की जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। विप्राथीगण ने खसरा संख्या 678 व 679 दोनों में आधा–आधा कुल 15 फीट रास्ता देने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश दिया था जो विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में नियम 69 व 70 की पालना नहीं की गई। अपीलार्थी के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2019(1) Page 285, RRT 2018-19(Supp.) Page 404, RRT 2018-19 (Supp.) Page 407, RRT 2018-19 (Supp.) Page 342, RRT 2019(1) Page 403

रेस्पोडेंट संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अपीलांटस की मंशा कतई रास्ता प्रदान करने की नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

(नथमीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश जबाव में रास्ते की चौड़ाई 15 फिट रखते हुए निकालने की सहमति प्रदान की। मौका रिपोर्ट में अपीलांट्स की सहमति के अलावा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट रखी गई जिसका कोई तर्क नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 194/2022 बउनवान अणदी वगैरह बनाम गोपालदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढे इसलिए अपीलांट्स द्वारा दी गई सहमति को ध्यान में रखते हुए यथासंभव रास्ते की चौड़ाई 15 फीट कर प्रकरण में गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर